संख्या-10/2019/3998 ई-2/तेरह-2018-54/2009

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 21 जनवरी, 2019

विषयः- प्रस्तावित रश एण्ड क्रश बार ग्रेट वैल्यू मॉल के भवन में तीसरी मंजिल थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को पृ ष्ठांकित अपने पत्र सं0-2021/जि0आ0अ0/अलीगढ़/बार अनुज्ञापन, दिनांक 13 नवम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण मेंआपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 2018 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 01-11-2018 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-153/दस-लाइसेंस-21/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/अलीगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर,2018 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री चेतन शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा निवासी बी0-30 ओजोन सिटी, रामघाट रोड, अलीगढ़ द्वारा संचालित "रश एण्ड क्रश" रेस्टोरेन्ट, ग्रेट वैल्यू मॉल जनपद अलीगढ़ को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत होटल/रेस्टोरेन्ट्स में सी0सी0टी0वी0 कैमरे की व्यवस्था होने, शान्ति व्यवस्था के दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षाकर्मी होने तथा अग्निशमन विभाग की अनापत्ति में दी गई शर्तों को पूर्ण होने के पश्चात् ही लाइसेंस निर्गत किये जाएं।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-10/2019/3998 ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-153/दस-लाइसेंस-21/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/अलीगढ़, दिनांक 15 दिसम्बर,2018 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।